न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2019 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती बद्रीबाई पुत्री श्री वेणा जणवा, निवासी ग्राम नवानिया (मृतक) के बजाय :–
1/1. कैला ाचन्द्र पिता जमनालाल जी जणवा, निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पुश्पाबाई पत्नी जमनालाल जी जणवा, निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. का ीराम पिता श्रीलाल जी जणवा, निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभगनर, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 रा0का0अ0 एवं आदेश 47 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. विरूद्ध न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर प्र.सं. 27/13 निर्णय दि0 30.04.19

––::––

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

––::––

निर्णय **दिनांक 20–12–2021**

अपीलान्ट ने निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध आदे ा पारित किया गया है, जो एबइनि योवाईड होने से ऐसे आदे ा को प्रथम दृश्टया रिव्यू किया जाना आव यक है। इस मामले में आप न्यायालय द्वारा धारा 151 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी, किन्तु निर्णय मेरिट पर पारित किया गया है। इस मामले में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामकायमी किया जाना आव यक है, परन्तु नामकायमी प्रार्थना पत्र पर आदे ा पारित नहीं कर मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ आदे ा पारित कर दिया गया। अतः अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आप न्यायालय का आदे ा दिनांक 30–04–2019 निरस्त किया जावे तथा पुनः धारा 151 पर बहस सुनी जाकर नामकायमी का आदे ा प्रदान किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा न्यायालय हाजा की आदे ाका एवं निर्णय का अवलोकन किया। आदे ाका एवं निर्णय अनुसार प्रथम दृश्टया प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर निर्णय किया जाना प्रकट होता है। अपीलान्ट ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो अन्य उजर उठाये हैं, वह रिव्यू प्रार्थना पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। तद्नुसार हम अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–04–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:58 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर